MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
NEW DELHI, INDIA
AND
THE ALABAMA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
AUBURN UNIVERSITY, ALABAMA, USA
FOR COOPERATION IN AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

This Memorandum of Understanding, herein referred to as "MoU", is made and entered into on the date of the final signature hereto, by and between the Indian Council of Agricultural Research having its office at Dr. Rajendra Prasad Road, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001, India, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (hereinafter called "the Council") of the one part, and Auburn University, having an office at107 Comer Hall, Auburn University, Auburn, Alabama 36849-5406 (hereinafter referred to as "Auburn University" and herein after jointly referred as "The Parties").

WHEREAS the Council is charged with the responsibility in India to undertake, aid, promote and coordinate education, research and its application in practice in agriculture and allied disciplines including animal husbandry.

NOW THEREFORE, the Council and Auburn University inspired by their common objectives to engage in cooperative educational and research activities for the mutual benefit of both institutions, The Parties have reached the following understanding:

ARTICLE - I

OBJECTIVES

The Parties hereby agree to promote cooperation in the field of education and research thereof through:

1. Exchange of research students and scientists for educational and research of mutual interest.
2. Exchange of academic materials and publications in the field of education and research.
3. Collaborative research programs, seminars and workshops.
4. Faculty development program of mutual interest.
5. Joint consultancies.
6. Other education/research activities as deemed appropriate and mutually agreed by both parties.

ARTICLE - II
LIAISONS

The Council may name any member of its staff to work out the practical details of cooperation between the two organizations and in general to ensure proper and effective implementation of this MoU. Auburn University appoints its Office of International Agriculture to coordinate the development and implementation of this MoU.

All activities developed hereunder will be in accordance with all applicable rules and regulations of the home and host institutions, and all applicable federal, state and local laws, rules and regulations, respectively.

ARTICLE - III

WORK PLANS

Each activity to be performed under this MoU will be undertaken pursuant to an addendum that will contain the specific terms and conditions governing the activity. These terms and conditions will be mutually agreed upon by the two institutions on a case by case basis. This MoU will be implemented through development of Work Plans, to be developed jointly which describe specifically the activities to be carried out under this MoU and which sets forth the intended contributions of each Party. These Work Plans may originate with either Party, but will require the full approval of both Parties for implementation.

ARTICLE - IV

REPORTS AND PUBLICATIONS

Research findings covered under this MoU for which there is prior art in the literature and are deemed not patentable or protectable intellectual property ("IP") in other any form may be published by either Party. The publication(s) may be done jointly or separately as determined in each specific case. In the event of the parties failing to agree on the method of publication, either Party shall be entitled to publish the findings separately after submitting the proposed manuscript(s) to the other Party and considering any comments and suggestions that may be offered by the latter.

ARTICLE - V

INTER-INSTITUTIONAL LINK

Both Parties will establish inter-institutional links between their respective similar education and research institutes and centers.

ARTICLE - VI

PUBLICATIONS & INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In the collective projects taken up as per this Memorandum of Understanding when research results generate an intellectual property that is jointly developed and owned by The Parties, the Council and Auburn University shall work in good faith together towards the protection and commercialization of the intellectual property. In this arrangement, the following principles of protection and commercialization of any such jointly developed intellectual property will be considered:

I) If the research is conducted and completed in India with the help of Auburn University members in the team, the intellectual property may be protected in India with Auburn University as a co-applicant on any IP protection

application with ICAR taking the lead in the patenting process in India. ICAR will take the lead on commercialization efforts of the technology in India.

II) If the research is conducted and completed in USA with the help of ICAR members in the team, the intellectual property may be protected in USA with ICAR as a co-applicant on any IP protection application with Auburn University taking the lead in the patenting process in the USA. Auburn University will take the lead on commercialization efforts of the technology in the USA.

III) The filing of patent applications in countries other than India and the United States, as well as the sharing of patent costs and license revenue, will be determined in good faith on the basis of contribution by each party, on a case by case basis.

IV) Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the participants pursuant to this MoU will be jointly owned (or otherwise shared by mutual agreement). The use of the name, logo and/or official emblem of the participants on any publication document and/or paper will require prior permission of both the participants. It may, however, be ensured that the official emblem and logo is not misused.

V) Both parties agree to discuss in good faith whether and how to seek appropriate protection of Intellectual Property Rights generated from such cooperation consistent with their respective laws, rules and regulations and other international agreements to which both parties are signatories.

VI) In case research is carried out solely and separately by a Party or the research results are obtained through the sole and separate effort of only one Party, the Party concerned alone may apply for grant of IPR and once granted, the IPR will be solely owned by the concerned Party.

VII) In case an application is to be made for international protection, both ICAR and Auburn University will apply as co-applicants for the protection of jointly owned intellectual property rights subject to exclusive rights of both the Parties to commercialize the technology in their respective countries. Commercialization in any other country shall be done jointly through a separate agreement.

ARTICLE - VII

AMENDMENTS

The Parties of this MoU may, by mutual consent, add, modify, amend or delete any words, phrases, sentences or articles in this MoU. All modifications to this MoU must be in writing and signed by the authorized representative of The Parties.

ARTICLE - VIII

FINANCIAL ARRANGEMENTS

Each Party will be responsible for developing funds to support its involvement in the

cooperative activities contemplated under this MoU, and all such activities will be dependent upon the budgetary appropriations of the Parties. For short term exchange visits not exceeding one week, with prior approval by the receiving institution, international per diem and medical insurance shall be met by the sending party, and the expenses of boarding, lodging and internal travel shall be assisted as able by the receiving party.

ARTICLE - IX

VALIDITY/TERMINATION

The MoU shall come into force on the day of its final signing and remain in force for a period of five (5) years, unless either party serves notice to the other of its intention to terminate it, in which event the MoU shall be terminated at the end of six calendar months from the date of issue of such notice. The termination of this MoU shall not affect the validity or duration of specific collaborative programmes already being undertaken thereunder, unless decided otherwise by the Parties by mutual written consent.

IN WITNESS, whereof, the Parties duly authorized thereto have signed this MoU in two originals each in English and Hindi languages, all texts being equally valid and authentic. However, in the case of any doubt in interpretation, the English text shall prevail.

FOR AND ON BEHALF OF THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Date: 21 NOV 2014

Dr. S. Ayyappan
Secretary, Department of Agricultural Research & Education, Director General, Indian Council of Agricultural Research

FOR AND ON BEHALF OF AUBURN UNIVERSITY

Date: Dec. 11, 2014

Dr. William Batchelor
Dean & Director, Alabama Agricultural Experiment Station

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, भारत
एवं
दी अलबामा कृषि परीक्षण केन्द्र
ऑबर्न विश्वविद्यालय, अलबामा, यू एस ए
के बीच कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में
सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन, जिसे इसमें आगे ''एम ओ यू'' कहा गया है जिसे इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से निष्पादित माना जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), जिसका कार्यालय, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन,नई दिल्ली 110001 भारत में स्थित है और जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है (जिसे इसके बाद 'परिषद' कहा जाएगा) प्रथम पक्ष और ऑबर्न विश्वविद्यालय, जिसका कार्यालय 107 कामर हाल, ऑबर्न विश्वविद्यालय, आबर्न, अलबामा 36849–5406 (जिसे इसके बाद ''ऑबर्न विश्वविद्यालय'' कहा जाएगा और जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से ''पक्षों'' कहा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूंकि परिषद को भारत में पशुपालन सहित कृषि एवं सम्बद्ध विषयों में प्रचालित शिक्षा, अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग को आरंभ करने, सहायता और समन्वयन करने का दायित्व सौंपा गया है।

अब इसलिए, परिषद और ऑबर्न विश्वविद्यालय अपने समान उद्देश्यों से प्रेरित होकर दोनों संस्थाओं के पारस्परिक लाभ के लिए सहकारिता, शिक्षा और अनुसंधान कार्यकलापों में कार्य करने के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं :–

अनुच्छेद–1
उद्देश्य

दोनों पक्ष एतद्द्वारा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र निम्नलिखित के जरिए सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सहमत हैं :–

1. पारस्परिक हित के शैक्षिक और अनुसंधान के लिए शोध कार्य करने वाले छात्रों और वैज्ञानिकों का आदान–प्रदान।

2. शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षिक सामग्रियों एवं प्रकाशनों का आदान–प्रदान।
3. सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं।
4. पारस्परिक हित के संकाय विकास कार्यक्रम।
5. संयुक्त परामर्शी सेवाएं।
6. अन्य शिक्षा/अनुसंधान कार्याकलाप, जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा उचित समझा जाए और जिन पर पारस्परिक सहमति हो।

अनुच्छेद–2
संपर्क

परिषद दोनों संगठनों के बीच सहयोग का व्यावहारिक ब्यौरा तैयार करने तथा सामान्यतः इस एमओयू का समुचित और कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्टाफ के किसी सदस्य को नामित कर सकती है। ऑबर्न विश्वविद्यालय इस एमओयू की घटनाओं और कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए अपने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कार्यालय को नियुक्त करता है।

इसके अंतर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यकलाप क्रमशः गृह एवं मेजबान संस्थाओं के समस्त लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार तथा समस्त लागू संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार किए जाएंगे।

अनुच्छेद–3
कार्य योजनाएं

इस एमओयू के तहत निष्पादित किया जाने वाला प्रत्येक कार्यकलाप एक परिशिष्ट के अनुसरण में हाथ में लिया जाएगा जिसमें कार्यकलाप को शासित करने वाली विशिष्ट निबंधन और शर्तें दी जाएगी। इन निबंधन और शर्तों पर मामला–दर–मामला आधार पर दोनों संस्थानों द्वारा सहमति दी जाएगी। इस एमओयू का कार्यान्वयन संयुक्त रूप से

विकसित की जाने वाली कार्य योजनाओं के विकास के जरिए किया जाएगा जिसमें इस एमओयू के तहत किए जाने कार्यकलापों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा तथा साथ ही इसमें प्रत्येक पक्ष के अभिप्रेत योगदान का वर्णन किया जाएगा। ये कार्य योजनाएं किसी भी पक्ष द्वारा शुरू की जा सकती है परन्तु उसके कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्षों का पूर्ण अनुमोदन अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद–4
प्रतिवेदन एवं प्रकाशन

इस समझौता ज्ञापन में शामिल अनुसंधान परिणाम, जिसके संबंध में साहित्य में कौशल पहले से विद्यमान है तथा जिनका एकस्व अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है या किसी भी अन्य प्रकार से संरक्षित बौद्धिक संपदा नहीं हो सकते हैं, किसी भी पक्ष द्वारा प्रकाशित किए जा सकते हैं। प्रकाशन की पद्धति के बारे में पक्षों के सहमत न होने की स्थिति में, कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को प्रस्तावित पांडुलिपि (यां) प्रस्तुत करने और दूसरे पक्ष द्वारा दिए जाने वाले सुझावों और टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद अलग से परिणामों को प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद–5
अन्तः सांस्थानिक संपर्क

दोनों पक्ष अपने–अपने संबंधित समान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और केन्द्रों के बीच अंतः सांस्थनिक संपर्क स्थापित करेंगे।

अनुच्छेद–6
प्रकाशन और बौद्धिक सम्पदा अधिकार

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार शुरू की गई सामूहिक परियोजनाओं में जब अनुसंधान परिणाम किसी बौद्धिक सम्पदा को तैयार करते हैं, जिसे दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और जिस पर संयुक्त पेटेंट है, तब परिषद और ऑबन

विश्वविद्यालय बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण और वाणिज्यीकरण के संबंध में सद्भावना के साथ काम करेंगे। इस व्यवस्था में, संयुक्त रूप से विकसित किसी भी बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण और वाणिज्यकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा :

(प) यदि अनुसंधान, टीम में शामिल आईसीएआर के सदस्यों की सहायता से भारत में संचालित और पूरा किया जाता है तो भारत में पेटेंट करने की प्रक्रिया की अगुवाई करते हुए आईसीएआर के साथ किसी आईपी संरक्षण आवेदन पर सह–आवेदन के रूप में अर्बन विश्वविद्यालय के साथ भारत में बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित किया जा सकता है। आईसीएआर, भारत में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के प्रयासों की अगुवाई करेगा।

(पप) यदि अनुसंधान, टीम में शामिल अबर्न विश्वविद्यालय के सदस्यों की सहायता से यूएसए में संचालित और पूरा किया जाता है तो यूएसए में पेटेंट करने की प्रक्रिया की अगुवाई करते हुए ऑबर्न विश्वविद्यालय के साथ किसी आईपी संरक्षण आवेदन पर सह–आवेदन के रूप में आईसीएआर के साथ यूएसए में बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित किया जा सकता है। ऑबर्न विश्वविद्यालय यूएसए में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के प्रयासों की अगुवाई करेगा।

(पपप) भारत और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में पेटेंट आवेदन पत्र दायर करने तथा साथ ही पेटेंट की लागत और लाइसेंस राजस्व के बंटवारे का निर्धारण मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्येक पक्ष द्वारा किए गए योगदान के आधार पर किया जाएगा।

(पअ) इस एमओयू के अनुसरण में भागीदारों द्वारा संचालित संयुक्त कार्य से उत्पन्न किसी प्रकाशन, दस्तावेज तथा/अथवा लेख का स्वामित्व संयुक्त रूप से होगा (या परस्पर सहमति से शेयर किया जाएगा)। किसी प्रकाशन, दस्तावेज तथा/अथवा लेख पर भागीदारों के नाम, लोगो तथा/अथवा आधिकारिक प्रतीक चिन्ह के उपयोग के लिए दोनों भागीदारों की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधिकारिक प्रतीक चिन्ह और लोगो का दुरूपयोग नहीं किया जाता है।

(अ) दोनों पक्ष सदभावना के साथ विचार–विमर्श करने के लिए सहमत हैं कि अपने–अपने से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करारों, जिन

पर दोनों पक्ष हस्ताक्षरकर्ता हैं, के अनुरूप उक्त सहयोग से उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का समुचित संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाए।

(अप) यदि अनुसंधान किसी पक्ष द्वारा अकेले और अलग से किया जाता है या अनुसंधान के परिणाम किसी एक पक्ष द्वारा अकेले और अलग से प्राप्त किए जाते हैं तो संबंधित पक्ष अकेले आईपीआर की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है तथा एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद संबंधित पक्ष आईपीआर का अकेले स्वामी होगा।

(अपप) यदि आवेदन अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए किया जाना है तो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संयुक्त स्वामित्व के संरक्षण के लिए सह–आवेदकों के रूप में आईसीएआर और ऑबर्न विश्वविद्यालय दोनों आवेदन करेंगे परन्तु शर्त यह है कि अपने–अपने देशों में प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण का दोनों पक्षों का अनन्य अधिकार होगा। किसी अन्य देश में वाणिज्यीकरण एक अलग करार के जरिए संयुक्त रूप से किया जाएगा।

अनुच्छेद–7
संशोधन

इस समझौता ज्ञापन के सभी पक्ष परस्पर सहमति से इस एमओयू में कोई शब्द, वाक्य, वाक्यांश या अनुच्छेद जोड़, संशोधित या हटा सकते हैं। इस एमओयू में सभी संशोधन अनिवार्यतः लिखित रूप में होंगे तथा उस पर दोनों पक्षों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अनुच्छेद–8
वित्तीय व्यवस्था

इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत सुविचारित सहयोगी कार्यकलापों में अपनी भागीदारी की सहायता के लिए प्रत्येक पक्ष निधियां विकसित करने के लिए उत्तरदायित्व होंगे तथा ये सभी कार्यकलाप पक्षों के बजटीय विनियाजनों पर निर्भर करेंगे। प्राप्त करने वाली संस्था की पूनर्वानुमति से अल्प कालिक आदान–प्रदान के दौरे एक सप्ताह से अधिक के नहीं होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय दैनिक भत्ता और चिकित्सा बीमा का खर्च भेजने वाली संस्था

द्वारा किया जाएगा तथा भोजन, आवास एवं आंतरिक यात्रा का खर्च प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद–9

वैधता / समापन

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा तथा यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने के अपने आशय का नोटिस नहीं देता तथा उस स्थिति में यह समझौता ज्ञापन उक्त नोटिस जारी करने की तारीख से छः कलैंडर माह के बाद समाप्त हो जाएगा। जब तक कि परस्पर सहमति से दोनों पक्षों द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है इस समझौते ज्ञापन के अन्तर्गत पहले से किए जा रहे विशिष्ट सहयोगात्मक कार्यक्रमों की वैधता या अवधि इसकी समाप्ति से प्रभावित नहीं होगी।

जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षों के प्राधिकृत अधिकारियों ने इस समझौता ज्ञापन की हिंदी और अंग्रेजी पाठ की दो–दो प्रतियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, सभी पाठ समान रूप से वैध और प्रमाणिक हैं। तथापि व्याख्या में कोई संदेह होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
के लिए और की ओर से

एस. अय्यप्पन

डॉ. एस. अयुयपन,
दिनांक 21 नवंबर 2014
सचिव,कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद

ऑबर्न विश्वविद्यालय
के लिए और की ओर से

दिनांक
डॉ0 विलियम बैचलर
संकाय अध्यक्ष एवं निदेशक
अलबामा कृषि परीक्षण केन्द्र